Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 216-2023/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, DECEMBER 9, 2023 (AGRAHAYANA 18, 1945 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 9th December, 2023

No. 17-HLA of 2023/160/21683.— The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2023 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:

Bill No. 17-HLA of 2023

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)

BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2023. Short title.

2. In the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006, after serial number 25 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:- Amendment of Schedule to Haryana Act 32 of 2006.

"26. Sanskaram University District Jhajjar".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Private Universities Act was enacted in the year 2006 under which 25 Private Universities have been established. To safeguard and protect the interest of students of Haryana Domicile and to provide them fee concession in these Universities, express provisions are enshrined in Sections 35 and 36 of the Haryana Private Universities Act. Under these provisions, a minimum of 25% seats for admission in these Universities are reserved for students of the state of Haryana, out of which 10% seats are reserved for student belonging to Scheduled Castes of the State of Haryana. Further, the fee structure of the 25% of the students who are domicile of Haryana has also been provided in the Act. It is binding on the Universities to adhere to these provisions in letter and spirit. To ensure that these provision are complied with by the Universities, it has been decided to introduce a mechanism by way of inspection of the University by Higher Education Department within three months after the completion of the admission process so as to ensure that the University has provided reservation and fee concession as per Sections 35 and 36. Further, if it is found that the University is not providing reservation and fee concession in accordance with Sections 35 and 36, penalty may be imposed upon the Universities in accordance with Section 44A and which includes stopping of admissions in one or more faculties; financial penalty of minimum of ten lakhs and maximum of one crore; and Dissolution of the university in a phased manner:

These amendments shall ensure that the interest of students of Haryana domicile are protected.

Hence, this Bill.

MOOL CHAND SHARMA,
Higher Education Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 9th December, 2023.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2023 का विधेयक संख्या 17 एच० एल० ए०

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 25 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:— 2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।

''26. संस्कारम् विश्वविद्यालय जिला झज्जर''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 2006 में लागू किया गया था जिसके तहत 25 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। हरियाणा अधिवासी छात्रों के हित को सुरक्षित करने और उनको संरक्षित करने और उन्हे इन विश्वविद्यालयों में शुल्क रियायत प्रदान करने के लिए, इन प्रावधानों के तहत हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35 और 36 में स्पष्ट प्रावधान हैं। विश्वविद्यालय में 25 प्रतिशत सीटें हरियाणा राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित है, जिनमें से 10% सीटें हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति के छात्र के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा हरियाणा में अधिवासित 25% छात्रों की फीस संरचना भी अधिनियम में प्रदान की गई है। इन प्रावधानों का अक्षरशः पालन करना विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये प्रावधान विश्वविद्यालयों द्वारा संकलित किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय द्वारा धारा 35 एवं 36 के अनुसार आरक्षण एवं शुल्क रियायत प्रदान की गई है; यह निर्णय लिया गया है कि प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न होने के तीन मास उपरान्त, उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से निरक्षण किया जाएगा।

इसके अलावा अगर यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय धारा 35 और 36 के अनुसार आरक्षण और शुल्क रियायत प्रदान नहीं कर रहा है तो धारा 44 ए के अनुसार विश्वविद्यालयों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जिसमें एक या अधिक संकायों में प्रवेश रोकना शामिल है; न्यूनतम दस लाख और अधिकतम एक करोड़ का आर्थिक दंड और चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय का विघटन शामिल है।

यह संशोधन सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा अधिवास के छात्रों के हितों की रक्षा हो।

अतः बिल प्रस्तुत है ।

मूलचन्द शर्मा,
उच्चतर शिक्षा मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 9 दिसम्बर, 2023.

आर० के० नांदल,
सचिव।

10749A—H.V.S.—H.G.P. Pkl.